मेधावी छात्रा को मिली स्कूटी

श्रीमाधोपुर। राजस्थान सरकार द्वाराआयोजित व आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा जारी कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अन्तर्गत श्रीराधास्वामी कॉलेज, खेजरोली की दो छात्राओं का चयन हुआ है। छात्राओं को कॉलेज पहुंचने पर निदेशक मोहर सिंह खर्रा, सचिव गीता खर्रा, प्रवक्ता राकेश यादव ने माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर, प्रतीक चिन्ह के साथ स्कूटी के दस्तावेज, हेलमेट सौपे।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः वविप्रा/जप्र./योन-07/2025/सी-984 **आम सूचना** दिनांकः 02.05.2025

आवेदिका द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 218166 दिनांक 17.04.2025 को निम्नांकित भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स. सं./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा शुल्क लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री कल्याण मल जाटपुत्र श्रीलाला रामजाट	श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री के.एस. सिंधु	डी-28	450 व.ग.	मोती भवन ग.नि.स. स.नि.	हनुमान नगर डी	पट्टा	मूल दस्तावेज गुम होने एवं अपंजीकृत इकरारनामा होने से

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-07, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः एच.(1)/न.नि.ज.ग्रेटर/मा.न.जोन/2024/274 दिनांक-1/5/25

सार्वजनिक सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नी स्व0 श्री राजेश शर्मा एवं राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा द्वारा भूखण्ड सं. 383 योजना बरकत नगर सोसायटी न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज भूमि का नाम हस्तानान्तरण चाहा गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या 383 योजना बरकत नगर सोसायटी न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर का पट्टा विलेख जिसका कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज का श्रीमती मुन्ना देवी शर्मा पत्नी श्री भंवरलाल शर्मा के नाम से जारी किया गया श्रीमती मुन्ना देवी पत्नी श्री भंवरलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वसीयत 21.07.2020 भूखण्ड संख्या 383 क्षेत्रफल 200 वर्गगज का 50 प्रतिशत श्रीमती सुनिता पत्नी स्व0 श्री राजेश शर्मा एवं 50 प्रतिशत राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा के पक्ष में सम्पादित की गई। श्रीमती मुन्ना देवी पत्नी श्री भंवरलाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 03.07.2022 को हो गई थी। श्री भंवरलाल शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर की मृत्यु दिनांक 26.01.2025 को हो चुकी है। आवेदकों के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर भूखण्ड सं. 383 योजना बरकत नगर सोसायटी न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर का नाम हस्तानान्तरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नी स्व0 श्री राजेश शर्मा एवं राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तानान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर) में प्रस्तुत करे, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त, मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

खोया पाया

मेरे स्वामित्व का फ्लैट नंबर GF/2, B-8, श्यामपुर बुहारिया वाटिका रोड, तहसील सांगानेर ,जयपुर में रेजिडेंसी बिल्ड होम LLP द्वारा किफायती आवास नीति आवंटन व कब्जा पत्र गांधीपथ वेस्ट जयपुर में कहीं खो गया है, जिनकी ऑनलाइन मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है । मिलने पर सूचित करें रितु जांगिड़ पुत्री रामप्रसाद शर्मा 9001003010

न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की आवासीय योजना महेश नगर, बरकत नगर, टोक रोड, जयपुर के भूखण्ड संख्या ए-21 ए, का सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र मूल साईट प्लान एवं रसीद कही गुम हो गई है। मिलने पर सूचित करें। - प्रेम बाई मोबाईल नम्बर 9785302437

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
आदेश 5 के नियम 1 और 5
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, मौजमाबाद जिला जयपुर (राज.)

राकेश वगैरह बनाम् भैरु वगैरह

वाद बाबत घोषणात्मक दुरुस्ती इन्द्राज
प्रकरण संख्या / 2018
बनाम्

1. भैरु पुत्र परसा जाति माली, निवासी सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज०।
2. हीरा पुत्र परसा, जाति माली, निवासी सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज०।

वादीगण ने आपके विरुद्ध वाद उपरोक्त के लिये वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में दिनांक। इाद-उपदिन मेला तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता हैं। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है, पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे में या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावें या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपावद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख पर / प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 1 माह 5 ...सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

न्यायाधीश

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बसवां स्थान बसवा उनवान रामगोपाल बनाम गिर्राज वगै.
दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण
संख्या 118/2024

प्रेषितः-
1. कैलाशी पुत्री रामसहाय
2. तुलसीराम पुत्र रामसहाय
3. धर्मेन्द्र पुत्र गिर्राज प्रसाद
4. भुल्ली देवी पत्नी रामजीलाल
5. भौरी पुत्री मोहन
6. कानी पुत्री कजोड़
7. धापा पुत्री कजोड़
8. प्रेम पुत्री कजोड़
9. रामजीलाल पुत्र मोहन
10. हरक्या पुत्र मोहन
11. मोगरी पुत्री रेवडमल
12. मनोहरी पुत्री रेवडमल
13. छोटी पुत्री रेवडमल
14. संतोष पुत्री रेवडमल

} जाति माली निवासी- रामोल्या की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

15. मंजू देवी पत्नी प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
16. सरोज पत्नी अवधेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
17. सजनो पत्नी जगदीश जाति मीना निवासी लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
18. धनवन्ती देवी पत्नी पप्पूराम जाति मीना निवासी निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

वादी ने आपके विरुद्ध दावा के लिये पंजीकृत किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 19.05.2025 को दिन में 10 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गए हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज तारीख 01.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

(श्रीमती रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी बसवां जिला दौसा

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

बांधका में पेयजल संकट गहराया ग्रामीणों ने जताया विरोध

■ टैंकर से जल आपूर्ति शुरू

नारायणपुर । प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच गांव पंचायत चतरपुरा के राजस्व गांव बांधका में इन दिनों पेयजल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। इलाके के ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। मंगलवार को स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश दायमा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग की कनिष्ठ अभियंता सुशीला सैनी को ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग की।

ग्रामीणों का कहना है कि पहले नल कनेक्शनों से नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति होती थी,लेकिन पिछले कुछ दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे बार-बार संबंधित अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं,लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश फैलता जा रहा है और लोगों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों के प्रति नाराजगी भी जाहिर की है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक नियमित जल आपूर्ति बहाल नहीं होती, तब तक टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कनिष्ठ अभियंता सुशीला सैनी और आदित्य मनीष मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और तत्परता दिखाते हुए बांधका गांव में प्रतिदिन दो टैंकरों से पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी गई है। इस दौरान ग्रामीण रवि मौर्य, सीताराम, रविशंकर प्रसाद, हेमंत रैगर, संदीप मौर्य सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

नारायणपुर के ग्रामीणों ने जलदाय विभाग की कनिष्ठ अभियंता सुशीला सैनी को ज्ञापन सौंपा

दूसरी ओर बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए बुधवार को उपखंड कार्यालय में एक अहम ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह बैठक उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे उपखंड सभागार में आयोजित होगी। बैठक में जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे, ताकि क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके। प्रशासन द्वारा क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय पर बैठक में पहुंचें और अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रखें। गौरतलब है कि इन दिनों क्षेत्र के कई गांवों में नलों से पानी नहीं आ रहा है, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह बैठक आमजन और प्रशासन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो सकती है। उपखंड अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और त्वरित समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

सती माता का विशाल भंडारा आयोजित

शाहपुरा । विराटनगर कस्बे के जैन नशियां के पास स्थित सती माता के विशाल मेले एवं भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें बालाजी मंदिर मेहंदोला की ढाणी से ध्वज यात्रा निकली गई। जिसमें स्थानीय संघ विराटनगर के स्काउट मास्टर विनोद कुमार कुंभावत, सुलतान राम माली के सानिध्य में टोली नायक यशवंत कोली,विशाल प्रजापत, विष्णु कुमावत, तुलसीराम सैनी के निर्देशन में स्काउट योगेश यादव, युवराज सैनी, कुलदीप कुम्हार मोहन कुम्हार, धर्मेंद्र कुम्हार, राहुल सैनी, प्रिंस बिवाल,अवधेश सैनी, गुड्डू कुम्हार, साहिल प्रजापत, प्रेमचन्द कुम्भावत सहित 20 स्काउट्स ने सेवा कार्य किया। इस अवसर पर मेला कमेटी सदस्य रोहिताश सैनी, रोहिताश, विशम्बर, पी सी सैनी सहित अनेक भक्तगण मौजूद रहे।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के आवेदनों की अंतिम तिथि 30 जून

मालपुरा (निस) कृषि विभाग द्वारा किसानो को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लाभ लेने के लिये ऑनलाईन आवेदन की तिथि 30 जून निर्धारित की। विभागीय पोर्टल पर किसान अपना ऑनलाईन आवेदन करे। कृषि पर्यवेक्षक जुगराज सिंह ने मंगलवार को देशमा ग्राम पंचायत मे कैम्प लगा किसानो को राज्य सरकार व कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रो पर दी जा रही 40से 50 प्रतिशत तक अनुदान पाने के लिये ऑनलाईन आवेदन की विस्तार से जानकारी दी।

जुगराज सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा दिये जा रहै अनुदान से किसानो को बुवाई व जुताई सहित बिजाई जैसे कार्यो मे अब राहत मिलेगी। मिशन एग्री लचर मेकेनाईजेशन योजना के तहत किसानो को आधुनिक कृषि यंत्रो का लाभ मिल सकेगा। तो किसान का भार भी कम होगा तथा उसकी आय मे वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2025-26 मे राज्य सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक किसानो को ही कृषि यंत्रो के लिये आवेदन का पात्र माना गया है।

कृषि विभाग ने किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लाभ लेने के लिये ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 जून निर्धारित की।

ऐसे मे आवेदन करने से पहले किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड विभाग से प्राप्त करे। जुगराज सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष मे सैंकडो काश्तकारे ने योजना का लाभ लिया था। आधुनिक कृषि यंत्रो के लिये सामान्य काश्तकारो के किसानो को 40 प्रतिशत तक अनुदान किया जा रहा है व एससी-एसटी लघु व सीमान्त तथा महिला काश्तकारो को 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। कृषि यंत्रो मे थ्रेसर, रोटावेटर, डिस्क प्लाऊ, फर्टीलाईचर ड्रिल, हैरो, आदि कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये आवेदन मान्य होगा। किसान को पंजीकृत फर्म से यंत्र खरीदना होगा तथा किसान के जनआधार से जुडे अनुदान राशि दी जायेगी। एक किसान को तीन वित्त वर्ष मे एक ही कृषि यंत्र लेने का पात्र माना गया है। किसान ई-मित्र अथवा स्वंय के मोबाईल से राजकिसान सुविधा पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय मालपुरा डॉ. महेश कुमार कुमावत ने बताया कि राजकिसान पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान भेदभाव

अलवर । अलवर में आज हुआ जब यूआईटी के अधिकारी अंबेडकर सर्किल पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे उन्हें सिर्फ अतिक्रमणकर्ता के रूप में गरीब ठेले, टपरी वाले नजर आए जिनका वे सामान तक उठा कर ले गए लेकिन वही बडे प्राईवेट अस्पताल, शोरूम और मॉलों द्वारा किया गया सड़क तक का अतिक्रमण नजर नही आया ऐसा किसके इशारे पर हुआ अगर अमीर चुनावों में पार्टियों को चंदा देकर उनकी झोली भरता है तो क्या गरीब अपने वोट से सरकार नही बनाता कानून सभी के लिए समान होना चाहिए ऐसी लोगों में चर्चा है । अलवर यूआईटी की ओर से शहर के मुख्य रोड पर मंगलवार शाम को अतिक्रमण हटाया गया। केवल ठेली पटरी वालों का सामान जब्त कर लिया गया। लेकिन आसपास के बड़े अस्पताल, शोरूम व मॉल की तरफ झांका भी नहीं। जहां बड़ा अतिक्रमण है। जिनके कारण रोड पर जाम भी लगता है। फिर भी उन पर मेहरबानी है। अफसरों से पूछा तो जवाब मिला कि ठेले पटरी वालों से ज्यादा परेशानी है। आगे बड़े अतिक्रमण भी हटाएंगे।

अलवर शहर में अंबेडकर सर्किल के पास फल बेचने वालों की दुकानें रोड के किनारे लगती हैं। अचानक टीम यहां पहुंची। दुकानों का जो सामान मिला उसे टैंपों में भर लिया गया। हालांकि कुछ दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का पहले ही पता चल गया था। इस कारण थोड़ा बहुत सामान दूर बचा लिया। लेकिन जिनका सामान मौके पर मिला। उसे जब्त कर ले गए। दुकानदारों के चेहरे मायूस थे। लेकिन अफसरों के सामने कुछ बोलने से इसलिए डरते रहे कि आगे उनको परेशान किया जाएगा। यूआईटी तहसीलदार अनिल शर्मा का कहना है कि मुख्य रोड के किनारे ठेले टपरी वालों की दुकानें हैं। इनका सामान आगे तक रहता है। जिससे आमजन को अधिक परेशानी होती है। जिला अस्पताल से लेकर अंबेडकर सर्किल तक अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं बड़े अतिक्रमण को लेकर कहा कि अभी यही प्लान बनाया था। आगे जहां बड़े अतिक्रमण हैं। उनको हटाया जाएगा। अलवर शहर में अंबेडकर सर्किल के पास हरीश हॉस्पिटल के बाहर बड़ा अतिक्रमण है। उससे आगे जेल चौराहे पर नेक्सा कार शोरूम के बाहर बड़ा अतिक्रमाण है। पूरे नाले पर निर्माण कर लिया। लेकिन यहां टीम पहुंची नहीं। पीछे से ही निकल गई। इसके अलावा आसपास की मॉल के बाहर भी अतिक्रमण है। यहां टीम के नहीं आने से आमजन को लगता है कि प्रशासन बड़े लोगों की दुकानों के बाहर से अतिक्रमण नहीं हटाता है।

कार्यकारिणी का गठन हुआ

चौमू / कालाडेरा। विश्व हिन्दू परिषद प्रखंड मंत्री मुकेश सामरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, बैठक में विभाण मंत्री परमजीत व जिला मंत्री राजेश ने विश्व हिन्दू परिषद के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी जिसमें बजरंग दल, शोर्य प्रशिक्षण वर्ग, दुर्गा वाहिने, शौर्य प्रशिक्षण वर्ग एवं विश्व हिन्दू परिषद कार्यकर्ता वर्ग के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर कालाडेरा नगर कार्यकारिणी का गठन किया गया। ओम प्रकाश जैन- नगर अध्यक्ष, सुरेश कुमार कुमावत नगर मंत्री, आंकाश सैनी - सत्संग प्रमुख, नवल टेलर प्रचार-प्रसार प्रयुख बने।

एक ट्रैक्टर जब्त

टोंक। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के द्वारा अवैध बजरी परिवहन व खनन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के निदेशन में पुलिस उप-अधीक्षक निवाई मृत्युन्जय मिश्रा व रामजीलाल थानाधिकारी थाना निवाई द्वारा गठित टीम ने मुखबीर की सूचना पर दौराने गश्त टीम ने कस्बा निवाई मे कीर कालोनी से एक ट्रैक्टर को अवैध बजरी से भरे हुये को जब्त किया ।

चालक व मालिक के खिलाफ एमएमडीआर एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

डेमेज पाइप लाइन को दुरुस्त कराने की मांग

फुलेरा । कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत काजीपुरा के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर मंगलवार को जयपुर जिला कलेक्टर के आदेश की पालना में तहसीलदार, प्रभारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभरलेक के आतिथ्य एवं सहप्रभारी व सरपंच नवरतन कुमावत की अध्यक्षता में पेयजल समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर के दौरान ठाम पंचायत काजीपुरा के ग्रामीणों एवं सरपंच द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत बिछाई गई पाईपलाइन में हो रखे अवैध कनेक्शन को हटाया जाने का मुद्दा उठाया गया। इस पर सहायक अभियंता जलदाय विभाग संजय कुमार मीणा द्वारा सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए एवं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए।

वहीं ग्ररम पंचायत काजीपुरा के ग्रामीणों ने शिविर के दौरान ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मन मर्जी से कनेक्शन दिए जाने एवं अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। इसके साथ ही उक्त शिकायत की समुचित जांच करवाने की मांग की है। इसी क्रम में आगे बताया कि जो पूर्व में जल जीवन मिशन अंतर्गत पाईप लाईन बिछाई गई है। उसमें से करीब 35 प्रतिशत पाईप लाईन डैमेज हो चुकी है। जिसको दुरुस्त करवाने की मांग की है। इसके साथ ही अन्य शिकायत में बताया कि वर्तमान में करीब 150 परिवार जल जीवन मिशन योजना से वंचित है। जिनको नल कनेक्शन नहीं मिले है। इस पर प्रभारी एवं सहप्रभारी ने संज्ञान लेते हुए जल्दी ही निस्तारण हेतु संबंधित विभाग को निर्देश दिए। वहीं शिविर में अन्य पंचायतों द्वारा भी पेयजल समस्या बताई गई। जिनका भी शीघ्र ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत काजीपुरा, खण्डेल, नवरंगपुरा एवं जयसिंहपुरा के ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिक सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

कलैक्टर ने मरीजों से लिया फीडबैक

■ रीको गेस्ट हाउस पर राइजिंग राजस्थान को लेकर की बैठक

खैरथल । जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने भीषण गर्मी और मौसमी बीमारियों की बढ़ती आशंका को देखते हुए मंगलवार को जिला चिकित्सालय भिवाड़ी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बीड़ा भिवाड़ी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी सुमित्रा मिश्र, तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पीएमओ सहित अस्पताल के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

जिला कलेक्टर ने अस्पताल में लू (हीट स्ट्रोक) व अन्य मौसमी बीमारियों से निपटने हेतु की गई तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रभावी कार्यान्वयन के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों से संवाद कर अस्पताल के स्टाफ के व्यवहार एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर फीडबैक भी लिया।

जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने जिला चिकित्सालय भिवाड़ी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को हीट स्ट्रोक से बचाव व त्वरित उपचार हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिए की लू प्रभावित मरीजों के लिए पृथक कूलिंग वार्ड सुनिश्चित किया जाए तथा अस्पताल परिसर में जगह-जगह स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में ओआरएस, ग्लूकोज एवं आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। आमजन को लू से बचाव हेतु नियमित प्रचार-प्रसार, पोस्टर, बैनर और सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से जागरूक किया जाए। इमरजेंसी वार्ड को पूर्ण रूप से सतर्क एवं स्टाफ को प्रशिक्षित रखने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा जिला कलेक्टर ने भिवाड़ी रीको गेस्ट हाउस पर राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए निवेश प्रस्तावों (एमओयू) की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि जिले में अब तक 502 एमओयू निष्पादित हो चुके हैं, जिनमें से 37 एमओयू का ठाउंड ब्रेकिंग हो चुका है। इसके फलस्वरूप 1096 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 2350 नए रोजगार सृजित हो चुके हैं। वर्तमान में 154 एमओयू धारकों के पास भूमि उपलब्ध है, जिससे वे कार्यान्वयन की स्थिति में हैं।

सीएमएचओ ने अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के 5 एमओयू में से 3 में कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि 2 को निरस्त कराने की प्रक्रिया प्रगति पर है। वहीं, कृषि उपज मंडी विभाग ने 53 एमओयू में से 11 को अनिच्छुक बताया और 41 को भूमिहीन श्रेणी में रखा। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जो एमओयू इम्प्लीमेंट योग्य नहीं हैं या जिन्हें सी श्रेणी में रखा गया है, उन्हें संबंधित विभाग बीआईपी को पत्र भेजकर निरस्त कराएं। साथ ही टास्क डिफाइन एमओयू की समयबद्ध समीक्षा व निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
पृथ्वीराज नगर (उत्तर) कार्यालय चित्रकूट स्टेडियम वैशाली नगर।
क्रमांकः ज.वि.प्रा./उपा./पीआरएन उत्तर द्वितीय/2025/डी-249 **सार्वजनिक सूचना** दिनांकः 02.05.2025

दी महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना बसन्त विहार के भूखण्ड संख्या 56 (क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज) के नाम हस्तान्तरण हेतु श्रीमती अनिता क्षौत्रिय पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार तंवर ने आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदिका के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण कर दिया जावेगा। **उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II जविप्रा, जयपुर।**

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमाधोपुर (सीकर-राज.)

क्रमांकः- दिनांकः-
1-धापू देवी पत्नी स्वर्गीय हीरालाल 2-पवन कुमार - श्यामलाल 4-रविकुमार सैनी पुत्रगण स्वर्गीय हीरालाल 5-मंजू सैनी 6-सुनिता देवी 7 कमला कुमारी सैनी पुत्रीयां स्वर्गीय हीरालाल समस्त जाति सैनी-माली निवासी वस्सी की ढ्राणी तन ग्राम द्वाल्यावास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)
बनाम् -आवेदकगण
1-हर खास व आम
2-मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)
- अनावेदकगण

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 वास्ते उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र.....
याचिका संख्याः- **तारीख दर्जः-**

इश्तहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक हीरालाल सैनी पुत्र सुरजमल सैनी जाति सैनी-माली निवासी वस्सी की ढ्राणी तन ग्राम द्वाल्यावास तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान के नाम से बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर में खाता संख्या-25700100004709 है जिसमें दिनांक 12-02-2024 तक राशि 400293.00/-रूपये जमा है। उसकी बावत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आवेदकगण के हक में जारी करने एवं उक्त बैंक खाता में जमा राशि आवेदकगण को दिये जाने के आदेश किये जाने हेतु आवेदन पत्र आवेदकगण ने इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, आवेदन पत्र की सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा तारीख पेशी 24/7/25 नियत की गयी है। अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो अपने उज्ञात स्वयं हाजिर होकर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तारीख पेशी को प्रातः 10.00 ए.एम. बजे प्रस्तुत करे, उक्त तिथि व समय पर किसी के हाजिर नही आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इश्तिहार आज दिनांक 5/5/24 को जारी किया गया।

आज्ञा से-
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीमाधोपुर जिला-सीकर

अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी की सूचना
(आदेश 41 नियम 14)
नाम न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर
राजेन्द्र कुमार विरूद्ध सुनिता सीमा सिंघानियां वगै.
अपील सं. CRA 29/ सन् 2024

ACJM-2 जयपुर जिला जयपुर के न्यायालय की तारीख 22/10/2024 को निर्णय/डिक्री का अपील नाम शिवराज पुत्र श्री मक्खन लाल जाति... स्थान प्लाट नं.32, जमनापुरी, मुरलीपुरा, जयपुर
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में सिविल वाद 217/2017 निर्णय 22.10.2024 की अपील अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत उपस्थापित की गई है और न्याय